मैसर्स गोकुलदास एक्सपोर्ट्स

बनाम

मैसर्स जैन एक्सपोर्ट्स (पी) लिमिटेड

सितंबर 4,2003

[बृजेश कुमार और अरुण कुमार, जे. जे.]

निर्यात- आयात नीति, 1981-82 पैरा 198(2): 199(1): 211- आयात लाइसेंस- दूसरा पुनर्वैधीकरण- धारित की अनुमति, अभिनिर्धारित, अनुमेय नहीं-

पुनर्वैधीकरण के अनुरोध को छह महीने से अनधिक की अवधि के लिए अनुमति दी जा सकती है - लंबी अवधि के लिए पुनर्वैधीकरण की मांग करने वाले पक्ष को पहली बार पुनर्वैधीकरण की मांग करते समय विशेष कारणों का खुलासा करते हुए ऐसा अनुरोध करना होगा - ऐसे अनुरोध पर आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक की मंजूरी के साथ विचार किया जाना है- पुनर्वैधीकरण के लिए दो अनुरोध नहीं हो सकते- आईपीसी परिपत्र संख्या 10/04 दिनांक 11/5/1984- आईपीसी परिपत्र संख्या डी 14/92 दिनांक 3/5/1982- आयात और निर्यात प्रक्रियाओं की पुस्तिका 1981 - 82- पैरा 201(2).

आयात लाइसेंस- लाइसेंसधारी की ओर से लाइसेंस का उपयोग करने में विफलता- मार्जिन मनी की आनुपातिक राशि की वापसी का दावा- अपीलकर्ता ने आयात लाइसेंस प्राप्त किया जो एक समझौते के अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा खरीदा गया था- अपीलकर्ता ने प्रत्यर्थी के पक्ष में अपेक्षित प्राधिकार पत्र जारी किया- प्रत्यर्थी एक वर्ष की वैधता अवधि के दौरान लाइसेंस का उपयोग करने में असमर्थ रहा - अपीलकर्ता ने प्रत्यर्थी के अनुरोध पर लाइसेंस के पुनर्वैधीकरण की मांग की, जिसे लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया था - प्रत्यर्थी द्वारा दूसरे पुनर्वैधीकरण के लिए अनुरोध का अपीलकर्ता ने इस आधार पर पालन नहीं किया कि दूसरा पुनर्वैधीकरण स्वीकार्य नहीं था। अपीलकर्ता द्वारा प्राप्त की गई मार्जिन मनी की आनुपातिक राशि की वापसी के लिए प्रत्यर्थी का दावा पोषनीयता - अभिनिर्धारित, मार्जिन मनी की आनुपातिक राशि की वापसी का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। समझौते में लाइसेंस के उपयोग के आधार पर मार्जिन मनी के किसी भी हिस्से या आनुपातिक भुगतान की कल्पना नहीं की गई थी - लाइसेंस की योग्यता के लिये मार्जिन मनी का भुगतान, प्रत्यर्थी के प्रदर्शन से सम्बन्धित नहीं है।

आयात लाइसेंस- संचालन को सुविधाजनक बनाना का मतलब- यह देखने के लिए कदम उठाना है कि लाइसेंस का पूरी तरह से उपयोग किया

गया है। लाइसेंस की परिचालन अवधि के विस्तार की मांग करने के लिए कोई दायित्व नहीं डालता है।

अपीलकर्ता ने 1,91,28,382 रुपये के मूल्य का आयात लाइसेंस प्राप्त किया। जिसे दो लाइसेंस में विभाजित किया गया था, एक 1,00,00,000 रुपये के लिए और दूसरा 91,28,382 रुपये के लिए। लाइसेंस 16/1/82 को जारी किए गए थे। प्रत्यर्थी ने 15/2/82 को हुए समझौते के अनुसार अपीलकर्ता से लाइसेंस खरीदे। उपरोक्त समझौते के अनुसरण में, अपीलकर्ता ने प्रत्यर्थी के पक्ष में अपेक्षित प्राधिकार पत्र जारी किया। प्रत्यर्थी ने 7,65,135.28 रुपये का भुगतान किया। समझौते की शर्तों के तहत अपीलकर्ता को न्यूनतम मार्जिन की गारंटी है।

लाइसेंस की वैधता अवधि एक वर्ष थी। प्रत्यर्थी उस अवधि के दौरान लाइसेंस का उपयोग करने में असमर्थ था। इसलिए, अपीलकर्ता ने प्रत्यर्थी के अनुरोध पर लाइसेंस के पुनर्वैधीकरण की मांग की। तदनुसार, लाइसेंस की वैधता छह महीने के लिए बढ़ा दी गई थी। लाइसेंस अंततः 1 अक्टूबर, 1983 को समाप्त हो गए। इसके बाद, प्रत्यर्थी ने अपीलकर्ता से लाइसेंस के दूसरे पुनर्वैधीकरण की मांग करने का अनुरोध किया। अपीलकर्ता ने दूसरे पुनर्वैधीकरण के लिए आवेदन करने में खेद व्यक्त करते हुए कहा कि आयात और निर्यात के संयुक्त मुख्य नियंत्रक ने उन्हें सूचित किया कि नई नीति के तहत लेटर ऑफ अथॉरिटी सुविधा वापस ले ली गई है। प्रत्यर्थी ने

यह कहते हुए असहमति जताई कि प्राधिकार पत्र को बंद करने से संबंधित नई नीति पुराने मामलों पर लागू नहीं होगी, जहां ऐसे पत्र पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

अंततः, प्रत्यर्थी ने मार्जिन मनी की आनुपातिक राशि की वसूली के लिए सिटी सिविल कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया, जो अपीलकर्ता को ब्याज सहित प्रत्यर्थी से प्राप्त हुआ था। ट्रायल कोर्ट ने मुकदमे पर फैसला सुनाते हुए कहा कि अपीलकर्ता ने लाइसेंस के दूसरे पुनर्वैधीकरण के लिए आवेदन न करके अनुबंध का उल्लंघन किया है। इसलिए, अपीलकर्ता को प्राप्त मार्जिन मनी की आनुपातिक राशि वापस करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया। उच्च न्यायालय में अपीलकर्ता की अपील खारिज कर दी गई। इसलिए वर्तमान अपील दायर की गई।

अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1.1. लाइसेंस के दूसरे पुनर्वैधीकरण की अनुमति नहीं है। निर्यात-आयात नीति, 1981-82 के पैरा 198(2) और 199(1) के संदर्भ से पता चलता है कि पुनर्वैधीकरण के अनुरोध पर आम तौर पर विचार नहीं किया जाता है।

हालाँकि, योग्यता के आधार पर अनुरोध पर विचार करने के बाद, पुनर्वैधीकरण के अनुरोध को छह महीने से अनधिक अवधि के लिए

अनुमति दी जा सकती है। यदि कोई पार्टी लंबी अवधि के लिए पुनर्वैधीकरण चाहती है तो उसे पहली बार में पुनर्वैधीकरण मांगते समय ऐसा अनुरोध करना होगा और इस अनुरोध पर आयात और निर्यात, नई दिल्ली के मुख्य नियंत्रक की मंजूरी के साथ शर्तों के अधीन विचार किया जा सकता है।

इसलिए, इस संबंध में निर्धारित सीमाओं के अनुसार, पुनर्वैधीकरण के लिए केवल एक अनुरोध हो सकता है। उपरोक्त प्रावधानों का मतलब या सुझाव यह नहीं है कि पुनर्वैधीकरण के लिए दो अनुरोध हो सकते हैं और दूसरा अनुरोध छह महीने की पुनर्वैधीकरण की प्रारंभिक अवधि की समाप्ति के बाद किया जाना चाहिए। अपीलकर्ता लाइसेंस के दूसरे पुनर्वैधीकरण के लिए आवेदन करने के लिए बाध्य नहीं था और ऐसा करने में उसकी विफलता, उसकी ओर से समझौते का उल्लंघन नहीं है। [387-एफ-जी-एच, 388-ए-सी, 391-बी-सी]

1.2. लाइसेंस का पुनर्वैधीकरण सामान्य बात नहीं है. यह एक अपवाद है। आम तौर पर आयात, लाइसेंस की वैधता अवधि के दौरान किया जाना था। केवल कुछ अप्रत्याशित कठिनाई के मामले में या आयातक के नियंत्रण से परे कारणों से ही लाइसेंस की वैधता बढ़ाने की मांग की जा सकती है। पुनर्वैधीकरण के लिए केवल एक अनुरोध की अनुमति है और यदि यह छह महीने की अवधि के लिए है तो विभाग द्वारा

इसे अलग तरीके से निपटाया जाएगा, जबकि यदि यह छह महीने से अधिक की अवधि के लिए है, तो इसे मुख्य आयात एवं निर्यात नियंत्रक, नई दिल्ली के अनुमोदन से विचार किया जाता है। । इसका मतलब यह है कि किसी पक्ष को पुनर्वैधीकरण के लिए अनुरोध करने से पहले यह तय करना होगा कि किस अवधि के लिए पुनर्वैधीकरण की आवश्यकता है। वादी का मामला यह नहीं है कि पहली बार में ही उसने चाहा था कि छह महीने से अधिक की अवधि के लिए लाइसेंस के पुनर्वैधीकरण की मांग की जाए। इसके अलावा, इस तरह का मामला बनाने के लिए वादी को विशेष कारणों का खुलासा करना होगा क्योंकि लंबी अवधि के पुनर्वैधीकरण के अनुरोध के लिए, कठिनाई का मामला बनाना होगा और वादी ने कभी भी पत्राचार में या यहां तक कि दावे में किसी भी कठिनाई के बारे में नहीं बताया । [389-ए-डी, 390-सी-एच, 391-ए-बी]

2.1. मौजूदा मामले में, मार्जिन मनी की आनुपातिक राशि की वापसी का प्रश्न ही नहीं उठता। समझौते में लाइसेंस के उपयोग के आधार पर मार्जिन मनी के किसी हिस्से या आनुपातिक भुगतान की कल्पना नहीं की गई है। इसमें ऐसा कोई खंड शामिल नहीं है कि वादी द्वारा लाइसेंस का पूरी तरह से उपयोग करने में विफलता की स्थिति में, प्रतिवादी आनुपातिक राशि वापस करने के लिए उत्तरदायी होगा। सौदा, लाइसेंस के लिए एक समग्र लेनदेन था और यह इसके उपयोग की सीमा पर आधारित नहीं था।

मार्जिन मनी का भुगतान इससे जुड़ा नहीं है। वादी का प्रदर्शन लाइसेंस के लिए आवश्यक है। यह लाइसेंस की पूरी तरह से 'बिक्री' है, हालांकि 'बिक्री' शब्दों का उपयोग कानूनी रूप से संभव नहीं हो सकता है। पक्षों के बीच समझौता न तो एक एजेंसी समझौता है और न ही एक सेवा अनुबंध है। पूरे समझौते को पढ़ने से पता चलता है कि सब कुछ वादी पर छोड़ दिया गया था और वादी के पक्ष में सब कुछ था। लाइसेंस का उपयोग कैसे किया जाना है यह पूरी तरह से वादी पर छोड़ दिया गया है। ऐसे मामले में, वादी, प्रतिवादी से वादी की विफलता के लिए भुगतान करने के लिए नहीं कह सकता है। यदि वादी लाइसेंस का उपयोग करने में विफल रहा है, तो पूरी तरह से वादी को इसके लिए स्वयं को उत्तरदायी ठहराना होगा। [391-ई-एच, 392-ए-बी]

2.2. जो पक्ष विपरीत पक्ष पर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाता है, उसे हर्जाने के लिए मुकदमा दायर करना पड़ता है। वर्तमान मामले में, चूँकि प्रतिवादी ने समझौते का कोई उल्लंघन नहीं किया, इसलिए ऐसी कोई घटना उत्पन्न नहीं हुई [392-बी-सी-डी]

3. लाइसेंस के संचालन को सुविधाजनक बनाने का मतलब केवल यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना है कि लाइसेंस का पूरी तरह से उपयोग किया गया । इसमें लाइसेंस की परिचालन अवधि के विस्तार की मांग करने की कोई बाध्यता नहीं है। लाइसेंस के संचालन को सुविधाजनक

बनाने का अर्थ है, इसकी वैधता अवधि के दौरान लाइसेंस का संचालन। यदि वैधता अवधि समाप्त हो जाती है तो लाइसेंस के संचालन का प्रश्न ही नहीं उठता। समाप्त हो चुका लाइसेंस कोई लाइसेंस नहीं है. इसे संचालित नहीं किया जा सकता । [386-डी-ई, 389-ई-एफ-जी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार सिविल अपील संख्या 1877/1997

कर्नाटक उच्च न्यायालय आर.एफ.ए. संख्या 301/1993 के निर्णय एवं आदेश दिनांक 24.6.96 से

एस. रवीन्द्र भट, नवीन आर. नाथ, संजय शरावत और सुश्री हेतु अरोड़ा, अपीलकर्ता

पी.एन. मिश्रा, जी.एल. रावज़, जी. वेणुगोपाल और श्रीमती डी. भारती रेड्डी, प्रतिवादी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय अरुण कुमार, जे. द्वारा सुनाया गया।

यह अपील उच्च न्यायालय के 24 जनवरी 1996 के फैसले के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा अपीलकर्ता के विरुद्ध दायर धन की रिकवरी के लिए एक मुकदमे में ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित डिक्री की पुष्टि की गई है। आक्षेपित निर्णय द्वारा मुकदमे की तारीख से वसूली तक प्रति वर्ष 18% की दर से ब्याज के साथ 5,47,740 रुपये के भुगतान का आदेश प्रत्यर्थी के पक्ष में और अपीलकर्ता के खिलाफ पारित किया गया।

संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं: मुकदमे के दोनों पक्ष आयात-निर्यात व्यवसाय में हैं। अपीलकर्ता ने 1,98,28,382 रुपये के मूल्य का आयात लाइसेंस प्राप्त किया। जिसे दो लाइसेंसों में विभाजित किया गया था, एक केवल 1,00,00,000 (एक करोड़ रुपये) रुपये के लिए और दूसरा मात्र 91,28,382 (इक्यानवे लाख अट्ठाईस हजार तीन सौ बयासी रुपये) रुपये के लिए। लाइसेंस 16.1.1982 को जारी किए गए थे। पार्टियों ने 15 फरवरी, 1982 को एक समझौता किया, जिसके अनुसार प्रत्यर्थी ने अपीलकर्ता से लाइसेंस खरीदे। समझौते की कुछ प्रासंगिक शर्तें इस प्रकार हैं:

1. जेईपीएल न्यूनतम 4% (चार प्रतिशत) मार्जिन की गारंटी देता है। जो उक्त लाइसेंस के तहत किए जाने वाले आयात के लिए लाइसेंस के मूल्य का 7,65,135.28 (सात लाख पैंसठ हजार एक सौ पैंतीस रुपये और केवल अट्ठाईस पैसे) है। जेईपीएल, जीई को तुरंत पूरी राशि का भुगतान करने की व्यवस्था करेगा। उक्त भुगतान डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जीई को बैंगलोर में किया जाएगा।

2. जेईपीएल आयात नीति 1981-82 में अनुमति के अनुसार जीई के प्राधिकार पत्र धारक के रूप में कार्य करेगा।

3. जेईपीएल यह संतुष्ट होने के बाद कि सामान 81-82 के लिए आई.टी.सी नीति के पैरा 186 के तहत आयात करने की अनुमति है, और सरकार द्वारा समय - समय पर घोषित किसी भी संशोधन के अधीन है,

उन विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को जिनसे वे सामान आयात करना चाहते हैं, को आवश्यक मांगपत्र रखेगा।

4. जेईपीएल विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के पक्ष में अपने स्वयं के बैंकरों के माध्यम से अपने स्वयं के धन से एक अखण्डनीय साख पत्र खोलेगा और तदनुसार जीई को सूचित करेगा। जेईपीएल साख पत्र खोलने के लिए सभी वित्तीय व्यवस्थाएं करेगा और जेईपीएल द्वारा स्थापित उक्त साख पत्र के संबंध में किसी भी वित्तीय व्यवस्था के लिए जीई किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।

12. जीई एतद्द्वारा आयात निकासी और माल की डिलीवरी के लिए लाइसेंस के संचालन की सुविधा के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज और कागजात देने का वचन देता है, और बीमा दावे, कमी आदि से संबंधित दावे के कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए और बीमा दावे, कमी इत्यादि, यदि कोई प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हो, उनकी प्राप्ति के 72 घंटे के भीतर संबंधित विचाराधीन माल की डिलीवरी को आगे बढ़ाने के लिए भी सहमत है।

13. जीई इस समझौते के खंड 1 में वर्णित निश्चित मार्जिन का भुगतान करने के अधीन, इस बात पर सहमत है कि यह समझौता अपरिवर्तनीय है और जीई आयात लाइसेंस के संबंध में किसी अन्य अनुबंध/समझौते में प्रवेश नहीं करेगा, जो इस समझौते का विषय है।

16. इसके द्वारा आगे सहमति व्यक्त की गई है और समझा गया है कि इस लेनदेन से उत्पन्न होने वाला लाभ/अधिशेष विशेष रूप से जेईपीएल का होगा और जीई के पास कोई अधिकार नहीं होगा और इस समझौते के खंड 1 में वर्णित निश्चित मार्जिन से अधिक किसी भी राशि का दावा नहीं करेगा।

उपरोक्त समझौते के अनुसरण में, अपीलकर्ता ने प्रत्यर्थी के पक्ष में अपेक्षित प्राधिकार पत्र जारी किया। प्रत्यर्थी ने अपीलकर्ता को 7,65,135.28 (सात लाख पैंसठ हजार एक सौ पैंतीस रुपये और केवल अट्ठाईस पैसे) रुपये का भुगतान किया, जो समझौते के खंड (1) में उल्लिखित लाइसेंस राशि का 4% है। लाइसेंस की वैधता अवधि एक वर्ष थी। प्रत्यर्थी उस अवधि के दौरान लाइसेंस का उपयोग करने में असमर्थ था और इसलिए, उसने अपीलकर्ता से लाइसेंस के पुनर्वैधीकरण की मांग करने और इस संबंध में आवश्यक कागजात पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया। तदनुसार अपीलकर्ता ने लाइसेंसिंग प्राधिकारी से लाइसेंस के पुनर्वैधीकरण की मांग की। लाइसेंस की वैधता छह महीने के लिए बढ़ा दी गई। लाइसेंस अंततः 1 अक्टूबर, 1983 को समाप्त हो गया। लाइसेंस की वैधता अवधि के दौरान प्रतिवादी मात्र 54,34,897.10 (चौवन लाख चौंतीस हजार आठ सौ सत्तानवे और पैसे दस) रुपये का माल आयात कर पाया। 25 अक्टूबर, 1983 को अपने पत्र द्वारा, प्रत्यर्थी ने अपीलकर्ता से लाइसेंस के दूसरे

पुनर्वैधीकरण के लिए एक आवेदन पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया। उक्त पत्र के साथ प्रत्यर्थी ने अपीलकर्ता को पुनर्वैधीकरण के लिए आवेदन करने के उद्देश्य से उस पर हस्ताक्षर करने के अनुरोध के साथ कुछ कागजात भेजे। आवेदन का एक प्रोफार्मा भेजा गया क्योंकि आवेदन अपीलकर्ता के लेटर-पैड पर होना था। अपीलकर्ता ने 1 जुलाई, 1983 को प्रत्यर्थी के उक्त पत्र का उत्तर देते हुए कहा कि उन्होंने आयात और निर्यात के संयुक्त मुख्य नियंत्रक के साथ इस मामले पर चर्चा की थी और उन्हें सूचित किया गया था कि नई नीति के तहत लेटर ऑफ अथॉरिटी सुविधा वापस ले ली गई है। अपीलकर्ता को आगे सलाह दी गई कि अपीलकर्ता के लिए किसी भी आगे के विस्तार के लिए मुख्य आयात और निर्यात नियंत्रक से संपर्क करना उचित नहीं होगा। इसे देखते हुए अपीलकर्ता ने दूसरे पुनर्वैधीकरण के लिए आवेदन करने में खेद व्यक्त किया। प्रत्यर्थी ने अपीलकर्ता के 7 नवंबर 1983 के पत्र के जवाब में 24 नवंबर 1983 को एक पत्र भेजा, जिसमें अपीलकर्ता के रुख से असहमति जताई गई। यह कहा गया था कि नई नीति प्राधिकरण पत्र को बंद करने से संबंधित थी और यह पुराने मामलों, जहां ऐसे पत्र पहले ही जारी किए जा चुके थे, पर लागू नहीं होगी। तदनुसार, प्रत्यर्थी ने अपीलकर्ता से लाइसेंस के दूसरे पुनर्वैधीकरण के लिए आवेदन करने का अनुरोध किया। वैकल्पिक रूप से अपीलकर्ता को सूचित किया गया कि यदि वे आवेदन नहीं करना चाहते हैं, तो उन्हें प्रत्यर्थी से पहले ही प्राप्त मार्जिन मनी की आनुपातिक राशि वापस

कर देनी चाहिए। प्रत्यर्थी ने आगे धमकी दी कि यदि अपीलकर्ता उनके किसी भी अनुरोध को स्वीकार करने में विफल रहा तो वह अपीलकर्ता के खिलाफ कानूनी कार्यवाही का सहारा लेगा। अपीलकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 8 दिसंबर, 1983 के माध्यम से उपरोक्त का जवाब दिया। छह महीने की पहली पुनर्वैधता की अवधि सहित वैधता अवधि के दौरान लाइसेंस का उपयोग करने में प्रत्यर्थी की विफलता पर ध्यान आकर्षित किया गया था। अपीलकर्ता ने प्रतिवादी को आगे सूचित किया कि उन्होंने आयात और निर्यात, बैंगलोर के संयुक्त मुख्य नियंत्रक से संपर्क किया था और उनके साथ हुई चर्चा के अनुसार, दूसरा पुनर्वैधीकरण संभव नहीं था। प्रत्यर्थी से दूसरे पुनर्वैधीकरण के प्रश्न पर लाइसेंसिंग प्राधिकारी से एक लिखित पुष्टि प्राप्त करने का अनुरोध किया था और लिखित पुष्टि के आधार पर, यदि उपलब्ध हो, अपीलकर्ता ने आवश्यक कदम उठाने पर विचार करने का वादा किया था। प्रत्यर्थी ने अपीलकर्ता के उक्त पत्र का उत्तर अपने पत्र दिनांक 26 दिसंबर, 1983 के माध्यम से दिया। उन्होंने अपने उत्तर के साथ आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक के कार्यालय द्वारा जारी आईपीसी परिपत्र संख्या 14/92 दिनांक 3 मई, 1982 की एक प्रति संलग्न की। और पुनः द्वितीय पुनर्वैधीकरण के लिए आवेदन करने का अनुरोध किया। उक्त परिपत्र केवल यह स्पष्ट करता है कि 1982-1983 से संबंधित नीति में प्राधिकार पत्रों के संबंध में नीति में परिवर्तन 1 अप्रैल, 1982 से पहले जारी किए गए लाइसेंसों के संबंध में 5 अप्रैल, 1982 से पहले जारी प्राधिकार

पत्रों पर लागू नहीं था। अपीलकर्ता का दावा है कि 7 जून, 1984 को उसने प्रत्यर्थी द्वारा अपीलकर्ता को भेजे गए परिपत्र के संदर्भ में आयात और निर्यात के संयुक्त मुख्य नियंत्रक, बैंगलोर से फिर से परामर्श किया। उक्त परामर्श के अनुसार अपीलकर्ता का रुख यह है कि दूसरा पुनर्वैधीकरण संभव नहीं है और इसलिए अपीलकर्ता ने कहा कि वह आगे पुनर्वैधीकरण के लिए आवेदन करने की स्थिति में नहीं है। हालाँकि, यदि मुख्य आयात और निर्यात नियंत्रक, नई दिल्ली के कार्यालय से इस संबंध में लिखित पुष्टि उपलब्ध हो तो अपीलकर्ता ने ऐसा करने की पेशकश की ।

यह उस पत्राचार का सार है जो इस विषय पर पक्षों के बीच हुआ था। अंततः प्रत्यर्थी ने बैंगलोर में सिटी सिविल कोर्ट में अपीलकर्ता के खिलाफ रु. 8,53,640 (आठ लाख तिरेपन हजार छह सौ चालीस रुपये) की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया। इसके अलावा मुकदमे की तारीख से वसूली तक प्रति वर्ष 18% की दर से ब्याज के मिलेंगे। दावा राशि का ब्रेक-अप है: अपीलकर्ता (प्रतिवादी) द्वारा पहले ही प्राप्त मार्जिन मनी से आनुपातिक राशि मात्र रु. 5,47,740 (पांच लाख सैंतालीस हजार सात सौ चालीस रुपये) और मुकदमे की स्थापना की तारीख तक 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के रूप में मात्र रु. 2,85,900 (दो लाख पचासी हजार नौ सौ रुपये)। ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले दिनांक 22.6.1993 के तहत मुकदमे का निपटारा करते हुए कहा कि अपीलकर्ता ने लाइसेंस के दूसरे

पुनर्वैधीकरण के लिए आवेदन न करके अनुबंध का उल्लंघन किया है, और इसलिए, वह कुल राशि रु. 7,55,132.35 (सात लाख पचपन हजार एक सौ बत्तीस रुपये और पैंतीस पैसे) में से आनुपातिक राशि वापस करने के लिए उत्तरदायी है। जो कि अपीलकर्ता को मार्जिन मनी के रूप में प्राप्त हुए। यह साबित करने का दायित्व प्रतिवादी-अपीलकर्ता पर डाला गया था कि दूसरा पुनर्वैधीकरण संभव नहीं था और यह माना गया कि प्रतिवादी इसे साबित करने में विफल रहा है। मुकदमे का फैसला 18% प्रति वर्ष की दर से वर्तमान और भविष्य के ब्याज के साथ की राशि मात्र रु. 5,47,740 (पांच लाख सैंतालीस हजार सात सौ चालीस रुपये) में किया गया।

अपीलकर्ता ने उक्त निर्णय और डिक्री के खिलाफ कर्नाटक उच्च न्यायालय में अपील दायर की। अपील का भी वही हश्र हुआ। इसे खारिज कर दिया गया और ट्रायल कोर्ट के फैसले की पुष्टि की गई। उच्च न्यायालय के अनुसार अपील में विचार के लिए एकमात्र बिंदु यह था कि क्या समझौते की शर्तों के तहत प्रतिवादी लाइसेंस के दूसरे पुनर्वैधीकरण की मांग करने के लिए बाध्य था। इस बिंदु पर उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता के ख़िलाफ़ फैसला सुनाया और इसलिए अपील खारिज हो गई। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान अपील दायर की गई।

हमने पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना है और रिकॉर्ड पर मौजूद प्रासंगिक सामग्री का अवलोकन किया है। हमारे विचार में, इस मुकदमे का

निर्णय करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा उठाए गए विचाराधीन प्रश्न के अलावा, एक और प्रश्न जो विचार के लिए उठता है वह है:

प्रतिवादी लाइसेंस के दूसरे पुनर्वैधीकरण के लिए आवेदन करने के लिए बाध्य था और वह ऐसा करने में विफल रहा, क्या प्रतिवादी, प्रत्यर्थी से प्राप्त मार्जिन मनी की आनुपातिक राशि वादी को वापस करने के लिए उत्तरदायी था?

प्रश्न संख्या :

क्या अपीलकर्ता लाइसेंस के दूसरे पुनर्वैधीकरण की मांग करने के लिए बाध्य था?

इस प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए सबसे पहले पार्टियों के बीच समझौते में प्रासंगिक शर्तों का संदर्भ देना होगा, यानी शर्त संख्या 12। उक्त शर्त संख्या 12 में निहित प्रासंगिक भाग "जीई लाइसेंस के संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए, सभी आवश्यक दस्तावेज़ और कागजात देने का वचन देता है।" इन शब्दों का क्या मतलब है?

क्या लाइसेंस के संचालन को सुविधाजनक बनाने का मतलब लाइसेंस की वैधता अवधि के विस्तार को सुविधाजनक बनाना है?

हमारे विचार में लाइसेंस के संचालन को सुविधाजनक बनाने का मतलब केवल यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना है कि लाइसेंस का

पूरी तरह से दुरूपयोग किया गया। इसमें लाइसेंस की परिचालन अवधि के विस्तार की मांग करने की कोई बाध्यता नहीं है। दूसरे, यह मानते हुए कि लाइसेंस के संचालन को सुविधाजनक बनाने में वैधता अवधि को बढ़ाना शामिल है, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अपीलकर्ता ने लाइसेंस की वैधता अवधि को एक बार बढ़ाया था जब छह महीने के लिए विस्तार की मांग की गई थी, जिसे अनुमति दी गई थी। लाइसेंस की वैधता अवधि के दूसरे विस्तार के अनुरोध के संबंध में, प्रासंगिक अवधि यानी 1981-82 के लिए निर्यात आयात नीति में निहित प्रासंगिक प्रावधानों का संदर्भ दिया जाना आवश्यक है। पैरा 211 में आवश्यक है कि निर्यात घरानों से आने वाली सभी पूछताछ, मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात, नई दिल्ली को आवश्यक सलाह के लिए संबोधित की जानी चाहिए। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी अन्य तरीके से दी गई नीति की कोई भी व्याख्या, सी.सी.आई. एण्ड ई. पर बाध्यकारी है। नीति के अलावा एक और प्रकाशन है जिसे आयात और निर्यात प्रक्रियाओं की हैंडबुक 1981-82 कहा जाता है। इसका पैरा 198 लाइसेंस के पुनर्वैधीकरण के प्रश्न से संबंधित है। इसमें प्रावधान है कि 1 अप्रैल, 1978 को या उसके बाद किए गए निर्यात के खिलाफ जारी किए गए आरईपी लाइसेंस की वैधता की अवधि के विस्तार के किसी भी अनुरोध पर आम तौर पर विचार नहीं किया जाएगा।

(1) हालांकि, कठिन मामलों में, संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक, नई दिल्ली की पूर्व मंजूरी के साथ, शर्तों के अधीन पुनर्वैधीकरण की अनुमति दी जा सकती है।

(2) पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के तहत जारी किए गए अग्रिम और प्रभावित लाइसेंस की वैधता की अवधि बढ़ाने के अनुरोध पर संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विचार किया जा सकता है और छह महीने की अनधिक अवधि के लिये पुनर्वैधीकरण की अनुमति दी जा सकती है। इससे अधिक अवधि के लिए पुनर्वैधीकरण के अनुरोध पर भी "मुख्य नियंत्रक आयात और निर्यात, नई दिल्ली" के अनुमोदन से विचार किया जा सकता है।

इसके अलावा पैरा 199(1) प्रदान करता है:

> "अन्य लाइसेंसों के पुनर्वैधीकरण के अनुरोध पर संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा आयात पर विचार किया जाएगा, और छह महीने से अनधिक की अवधि के लिए पुनर्वैधीकरण की अनुमति दी जाएगी। इससे अधिक समय तक पुनर्वैधीकरण के अनुरोधों पर आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक, नई दिल्ली की पूर्व मंजूरी के साथ, शर्तों के अधीन जो लगाई जा सकती हैं, विचार किया जा सकता है।"

"चूंकि मुद्दे का बिंदु आयात-निर्यात नीति के उपरोक्त विवरण और अधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं की पुस्तिका के आधार पर तय किया जाना है, इसलिए जिस मुद्दे का संदर्भ पहले ही दिया जा चुका है, उस पर पार्टियों के बीच आदान-प्रदान किया गया पत्राचार अपना महत्व खो देता है। हमें यह तय करने के लिए उपरोक्त प्रावधानों को पढ़ना होगा कि लाइसेंस का दूसरा पुनर्वैधीकरण स्वीकार्य था या नहीं। उपरोक्त प्रावधानों को पढ़ने के आधार पर, हमारे विचार में, लाइसेंस का दूसरा पुनर्वैधीकरण स्वीकार्य नहीं है। पैरा 198 (2) और 199 (1) के संदर्भ से पता चलता है कि पुनर्वैधीकरण के अनुरोध पर आम तौर पर विचार नहीं किया जाता है, हालांकि, योग्यता के आधार पर अनुरोध पर विचार करने के बाद, पुनर्वैधीकरण के अनुरोध को छह महीने से अनधिक अवधि के लिए अनुमति दी जा सकती है। यदि कोई पार्टी लंबी अवधि के लिए पुनर्वैधीकरण चाहती है तो उसे पहली बार में पुनर्वैधीकरण मांगते समय ऐसा अनुरोध करना होगा और अनुरोध पर आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक, नई दिल्ली की मंजूरी के साथ, शर्तों के अधीन विचार करना होगा। इन प्रावधानों को ध्यान से पढ़ने से पता चलता है कि आम तौर पर पुनर्वैधीकरण के अनुरोधों

पर विचार नहीं किया जाता है। जब कोई पक्ष पुनर्वैधीकरण के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसे यह तय करना होगा कि अनुरोध छह महीने या उससे अधिक की अवधि के लिए है या नहीं। यदि पुनर्वैधीकरण का अनुरोध लंबी अवधि के लिए है तो इस पर केवल मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात, नई दिल्ली के अनुमोदन से ही विचार किया जा सकता है। आम तौर पर पुनर्वैधीकरण छह महीने से अनधिक अवधि के लिए हो सकता है। इसलिए, इस संबंध में निर्धारित सीमाओं के अनुसार, पुनर्वैधीकरण के लिए केवल एक ही अनुरोध किया जा सकता है। ऐसा अनुरोध करने से पहले किसी पक्ष को यह तय करना होगा कि क्या छह महीने या उससे अधिक की अवधि के लिए पुनर्वैधीकरण की मांग की जा रही है। उपरोक्त प्रावधानों का यह मतलब या सुझाव नहीं है कि पुनर्वैधीकरण के लिए दो अनुरोध हो सकते हैं और दूसरा अनुरोध छह महीने की पुनर्वैधीकरण की प्रारंभिक अवधि की समाप्ति के बाद किया जाना है। हमारे विचार में प्रासंगिक प्रावधानों के बारे में प्रतिवादी की व्याख्या मान्य नहीं है। इस मुद्दे पर मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात, नई दिल्ली का दृष्टिकोण वही है जो आईपीसी परिपत्र संख्या 10/04 दिनांक 11 मई,

1984 में व्यक्त किया गया है। उक्त परिपत्र में पैरा 3(3) में कहा गया है:"ऐसे मामलों में वैधता के विस्तार की अनुमति केवल छह महीने की अवधि तक के लिये दी जावेगी, ताकि छूट अवधि सहित लाइसेंस की वैधता की कुल अवधि यह लाइसेंस जारी होने की तारीख से अठारह महीने से अधिक नहीं हो।"

उक्त परिपत्र व्यापार के प्रतिनिधियों से प्राप्त अभ्यावेदन के मद्देनजर जारी किया गया था, जिसमें स्पष्टीकरण मांगा गया था कि क्या 1 अप्रैल, 1984 से पहले बारह महीने की वैधता के साथ जारी किए गए लाइसेंस स्वचालित रूप से अठारह महीने के लिए वैध माने जाएंगे और क्या इसमें विस्तार देने के लिए अनुरोध किया गया है। ऐसे लाइसेंस की वैधता अवधि पर विचार किया जाएगा। इससे यह स्पष्ट है कि भले ही परिपत्र 11 मई, 1984 का है, यह मामले के मौजूदा तथ्यों पर लागू होता है। नीति में निहित स्पष्ट प्रावधान और ऊपर उल्लेखित हैंडबुक के मद्देनजर प्रतिवादी-अपीलकर्ता लाइसेंस के पुनर्वैधीकरण के लिए दूसरी बार आवेदन करने के लिए बाध्य नहीं था। हमारे विचार में, लाइसेंस का दूसरा पुनर्वैधीकरण स्वीकार्य नहीं है, और इसलिए, अपीलकर्ता ने इस संबंध में प्रत्यर्थी-वादी के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलकर्ता ने पार्टियों के बीच अनुबंध का उल्लंघन किया है। इसलिए, इस संबंध में

ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष को, जैसा कि उच्च न्यायालय ने पुष्ट किया है, खारिज किया जाना चाहिए। वास्तव में, ट्रायल कोर्ट ने पाया कि लाइसेंस को चालू रखना प्रतिवादी का दायित्व था, और इसलिए, यदि अनुमति हो तो उसे लाइसेंस के पुनर्वैधीकरण की मांग करनी होगी। हमने माना है कि लाइसेंस का दूसरा पुनर्वैधीकरण स्वीकार्य नहीं था। इसलिए, ट्रायल कोर्ट की टिप्पणी के अनुसार भी, प्रतिवादी की ओर से समझौते का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। वादी को पता था कि लाइसेंस की एक वैधता अवधि होती है। यह सुनिश्चित करना वादी का काम था कि लाइसेंस का उपयोग उसकी वैधता अवधि के दौरान किया गया था। लाइसेंस का पुनर्वैधीकरण सामान्य बात नहीं है। यह एक अपवाद है। वादी लाइसेंस के उपयोग को पुनर्वैधीकरण के लिए नहीं छोड़ सकता था।

इस पहलू पर उच्च न्यायालय ने माना कि समझौते में ऐसा कोई खंड नहीं था कि वादी को लाइसेंस की वैधता की अवधि के भीतर माल का आयात पूरा करना चाहिए और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो प्रतिवादी प्राप्त मार्जिन मनी के एक हिस्से को वापस करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। हमारे विचार में, उच्च न्यायालय की ओर से यह दृष्टिकोण पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण था। आम तौर पर आयात लाइसेंस की वैधता अवधि के दौरान किया जाना था। केवल कुछ अप्रत्याशित कठिनाई के मामले में या आयातक के नियंत्रण से परे कारणों से ही, लाइसेंस की

वैधता बढ़ाने की मांग की जा सकती है। हमने पहले ही आयात-निर्यात प्रक्रियाओं की पुस्तिका के पैरा 198 में प्रावधान का उल्लेख किया है, जिसके अनुसार लाइसेंस की वैधता की अवधि के विस्तार के किसी भी अनुरोध पर आम तौर पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय को यह पता लगाना चाहिए था कि पार्टियों के बीच समझौते में मार्जिन मनी या उसके किसी भी हिस्से की वापसी का कोई प्रावधान था या नहीं। सेमझौते में ऐसा कोई प्रावधान न होने पर उच्च न्यायालय को रिफंड का आदेश नहीं देना चाहिए था।

पुनः उच्च न्यायालय ने इस खंड का अवलोकन करने में गलती की कि समझौते के उस खंड में प्रतिवादी को लाइसेंस के संचालन की सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है, इसका मतलब यह नहीं है कि इसे केवल लाइसेंस की वैधता के दौरान ही सुगम बनाया जाना है। यह उच्च न्यायालय द्वारा खंड का गलत अध्ययन है। लाइसेंस के संचालन को सुविधाजनक बनाने का अर्थ है इसकी वैधता अवधि के दौरान लाइसेंस का संचालन। यदि वैधता अवधि समाप्त हो जाती है, तो लाइसेंस के संचालन का प्रश्न ही नहीं उठता। समाप्त हो चुका लाइसेंस कोई लाइसेंस नहीं है। इसे संचालित नहीं किया जा सकता। उच्च न्यायालय ने यह विश्वास करने में भी गलती की है कि प्रतिवादी को यह साबित करना था कि दूसरा पुनर्वैधीकरण संभव नहीं था। वादी ने दूसरे पुनर्वैधीकरण के लिए अनुरोध

किया था और यह वादी को स्थापित करना था कि नियमों के तहत दूसरा पुनर्वैधीकरण स्वीकार्य था। उच्च न्यायालय द्वारा गलती से प्रतिवादी पर जिम्मेदारी डाली गई जिसके कारण प्रतिवादी के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला गया। जो पार्टी किसी तथ्य पर जोर देती है उसे, इसे स्थापित करना होता है। इस मामले में यह वादी ही था जिसने दावा किया कि दूसरा पुनर्वैधीकरण स्वीकार्य था। इसे स्थापित करना वादी का काम था। वादी ऐसा करने में विफल रहा। वादी को कम से कम इतना तो पता था कि छह महीने से अधिक की अवधि के लिए पुनर्वैधीकरण के अनुरोध को केवल आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक, नई दिल्ली की मंजूरी के साथ ही अनुमति दी जा सकती है। प्रतिवादी द्वारा ऐसा करने का अनुरोध किए जाने के बावजूद, वादी इस संबंध में मुख्य नियंत्रक के कार्यालय से कोई पुष्टि प्राप्त करने में विफल रहा। यदि वादी यह स्थापित करने में सक्षम था कि लाइसेंस का दूसरा पुनर्वैधीकरण तभी स्वीकार्य था, जब प्रतिवादी को इसे सुविधाजनक नहीं बनाने के लिए दोषी ठहराया जा सकता था। सी.सी.आई. एण्ड ई, नई दिल्ली से स्पष्टीकरण मांगने पर वादी की विफलता का निष्कर्ष स्पष्ट है। वादी जानता था कि उसने ऐसा स्पष्टीकरण मांगा है जो उसके रुख के विरुद्ध होगा। इस प्रकार उच्च न्यायालय दुर्भाग्य से पूरी तरह से गलत आधार पर आगे बढ़े। आयात और निर्यात प्रक्रिया की पुस्तिका के पैरा 201 (2) के आधार पर उच्च न्यायालय का निष्कर्ष यह है कि छह महीने की पुनर्वैधीकरण अवधि की समाप्ति के बाद भी,

प्रमुख नियंत्रक, आयात और निर्यात के अनुमोदन से आगे पुनर्वैधीकरण के अनुरोध पर विचार किया जा सकता है। उक्त प्रावधान गलत व्याख्या के अध्ययन पर आधारित है। हमने पहले ही प्रावधान उद्धृत कर दिया है और हमारे विचार में यह प्रावधान स्पष्ट रूप से सुझाव देता है कि पुनर्वैधीकरण के लिए केवल एक अनुरोध की अनुमति है और यदि यह छह महीने की अवधि के लिए है तो विभाग द्वारा इसे अलग तरीके से निपटाया जाएगा, जबकि यदि यह छह महीने से अधिक अवधि के लिए है, तो इस पर मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात, नई दिल्ली के अनुमोदन से विचार किया जाना है। इसका मतलब यह है कि किसी पक्ष को पुनर्वैधीकरण के लिए अनुरोध करने से पहले यह तय करना होगा कि किस अवधि के लिए पुनर्वैधीकरण की आवश्यकता है। अनुरोध केवल एक बार ही हो सकता है। वादी ने जिस परिपत्र पर भरोसा किया, उसे उसने अपने पत्र दिनांक 26 दिसंबर, 1983 के साथ संलग्न किया, वह प्राधिकार पत्र जारी करने के प्रश्न पर है और इसका लाइसेंस के पुनर्वैधीकरण से कोई लेना-देना नहीं है। दूसरी ओर, 11 मई, 1984 का परिपत्र (प्रदर्श डी-13) स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट कर देता है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी लाइसेंस की वैधता अवधि के विस्तार की अनुमति छह महीने से अधिक नहीं दी जा सकती है, और छूट अवधि और विस्तार सहित लाइसेंस की कुल वैधता अवधि जारी होने की तारीख से 18 महीने से अधिक नहीं हो सकती है। वर्तमान मामले में लाइसेंस 16 जनवरी, 1982 को जारी किया गया था और

यह 1 अक्टूबर, 1983 तक वैध रहा। उच्च न्यायालय ने यहां तक कहा कि भले ही दूसरा पुनर्वैधीकरण कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं था, लेकिन प्रतिवादी को दूसरे पुनर्वैधीकरण के लिए आवेदन करना चाहिए था। यह फिर से दर्शाता है कि उच्च न्यायालय ने वर्तमान मामले में पूरी तरह से विकृत दृष्टिकोण अपनाया था। इस तरह के कदम से भविष्य के लिए अयोग्यता का खतरा हो सकता है। इस तरह का जोखिम क्यों उठाया जाना चाहिए?

वादी का मामला यह नहीं है कि पहली बार में ही उसने चाहा था कि छह महीने से अधिक की अवधि के लिए लाइसेंस के पुनर्वैधीकरण की मांग की जाए। इसके अलावा, इस तरह का मामला बनाने के लिए वादी को विशेष कारणों का खुलासा करना होगा क्योंकि लंबी अवधि के लिए पुनर्वैधीकरण के अनुरोध के लिए कठिनाई का मामला बनाना होगा, और वादी ने कभी भी पत्राचार में या यहां तक कि किसीे भी कठिनाई के बारे में नहीं बताया है। इस प्रकार हम मानते हैं कि प्रतिवादी-अपीलकर्ता लाइसेंस के दूसरे पुनर्वैधीकरण के लिए आवेदन करने के लिए बाध्य नहीं था और ऐसा करने में उसकी विफलता उसकी ओर से समझौते का उल्लंघन नहीं है।

प्रश्न संख्या 2 :

क्या प्रतिवादी, वादी को प्रत्यर्थी से प्राप्त मार्जिन मनी की आनुपातिक राशि वापस करने के लिए उत्तरदायी था?

इस मुद्दे पर पहले समझौते में संबंधित खंड का संदर्भ देना चाहिए, जिसे पहले ही उद्धृत किया जा चुका है। वादी ने मुकदमे में लेनदेन के लिए प्रतिफल के रूप में न्यूनतम मार्जिन की गारंटी दी और कुल राशि मात्र 7,65,135.28 (सात लाख पैंसठ हजार एक सौ पैंतीस रुपये और अट्ठाईस पैसे) रुपये के रूप में बताई गई थी।। लाइसेंस के कुल मूल्य का 4% का उल्लेख केवल मार्जिन मनी की गणना की विधि दर्शाने के लिए किया गया था। मुकदमे में लेनदेन के लिए प्रतिफल की कुल राशि वादी द्वारा प्रतिवादी को भुगतान की गई थी। उक्त राशि प्राप्त होने पर, सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, प्रतिवादी ने लाइसेंस से अपने अधिकार खो दिये। यह वादी पर छोड़ दिया गया कि वह अपनी इच्छानुसार लाइसेंस का उपयोग करे। समझौते में लाइसेंस के उपयोग के आधार पर मार्जिन मनी के किसी हिस्से या आनुपातिक भुगतान की कल्पना नहीं की गई है। इसमें ऐसा कोई खंड शामिल नहीं है कि वादी द्वारा लाइसेंस का पूरा उपयोग करने में विफलता की स्थिति में, प्रतिवादी आनुपातिक राशि वापस करने के लिए उत्तरदायी होगा। लेन-देन लाइसेंस के लिए एक समग्र लेन-देन था और इसके उपयोग की सीमा पर आधारित नहीं था। मार्जिन मनी का भुगतान लाइसेंस के लिए वादी के प्रदर्शन से जुड़ा नहीं है। यह लाइसेंस की पूरी तरह से 'बिक्री' है,

हालांकि 'बिक्री' शब्द का इस्तेमाल कानूनी तौर पर संभव नहीं हो सकता है। पार्टियों के बीच समझौता न तो एजेंसी समझौता है और न ही सेवा अनुबंध है। पूरे समझौते को पढ़ने से पता चलता है कि सब कुछ वादी पर छोड़ दिया गया था और सब कुछ वादी के पक्ष में था। लाइसेंस का उपयोग कैसे किया जाना है यह पूरी तरह से वादी पर छोड़ दिया गया था। जब यह पूरी तरह से वादी के हाथ में था तो वादी, प्रतिवादी से वादी की विफलता के लिए भुगतान करने के लिए कैसे कह सकता था?

यदि वादी लाइसेंस का पूर्ण उपयोग करने में विफल रहता है तो वादी को इसके लिए स्वयं को दोषी मानना होगा। अत: हमारे विचार में किसी भी स्थिति में मार्जिन मनी की आनुपातिक राशि वापसी का प्रश्न ही नहीं उठता।

इस स्तर पर यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यदि प्रश्न संख्या 1 पर हमारा निष्कर्ष यह होता कि प्रतिवादी ने समझौते का उल्लंघन किया, तो वादी का उपाय समझौते के उल्लंघन के लिए क्षतिपूर्ति की कार्रवाई होती। इसलिए, ऐसी स्थिति में भी आनुपातिक, मार्जिन मनी की वापसी की मांग करने का प्रश्न ही नहीं उठता। जो पक्ष विपरीत पक्ष पर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाता है, उसे हर्जाने के लिए मुकदमा दायर करना पड़ता है। वर्तमान मामले में हमारे निष्कर्ष के मद्देनजर कि प्रतिवादी ने

समझौते का कोई उल्लंघन नहीं किया है, ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हुई।

इस प्रकार प्रत्यर्थी द्वारा दायर किया गया मुकदमा बिना किसी अनुमति के निरर्थक है और खारिज किये जाने याेग्य है। तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है और प्रत्यर्थी द्वारा दायर मुकदमे को डिक्री करने वाले निचली अदालतों के फैसलों को अपास्त किया जाता है और मुकदमा खारिज किया जाता है। वर्तमान मामले के तथ्यों में, खर्चा पक्षकारान अपना-अपना करेंगे।

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशल इंटेलिजेन्स टूल सुवास की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी पवन कुमार अग्रवाल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए , निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा |